2/1/24 | S. कुमार, उप खण्ड अधिकारी
आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/2/24 को [illegible]

05/02/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस व पत्रावली के अवलोकन उपरांत प्रा० पत्र प्रार्थी अ० धा० 136 L.R.Act स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित होकर इजलास खुला किया गया। तहरीर पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2024.02.29 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक